डाक अदालत 26 नवंबर: दिल्ली डाक परिपथ में लंबित शिकायतों का निपटारा

शासन • सेवा-वितरण | GS-II | समाचार-संदर्भ: 20 नवंबर 2026 (डाक विभाग)
प्रिलिम्स: डाक अदालत, डाक विभाग


मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

डाक विभाग (दिल्ली परिपथ) 26 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, तीसरी मंजिल, **मेघदूत भवन**, नई दिल्ली में परिपथ-स्तरीय **डाक अदालत** आयोजित करेगा, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली/दिल्ली राज्य की लंबित डाक-सेवा शिकायतों का निपटारा किया जाएगा।

इस अदालत की शर्तें

- **कौन-सी शिकायतें**: केवल वे शिकायतें जो **संभागीय (डिवीज़नल) स्तर की डाक अदालतों में उठाई जा चुकी हैं और अब भी लंबित** हैं - नई शिकायतें सीधे परिपथ-स्तर पर नहीं लाई जा सकतीं।
- **समय-सीमा**: विचारार्थ शिकायतें **सहायक निदेशक (सीएस), मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, दिल्ली परिपथ** के पास **24 नवंबर 2026 (मंगलवार) तक** पहुँचनी चाहिए; बाद में प्राप्त शिकायतों पर विचार नहीं होगा।
- **प्रकृति**: शिकायत ठोस और संक्षिप्त हो; **सामान्य प्रकृति या नीतिगत मामलों** की शिकायतें स्वीकार नहीं होंगी।

डाक अदालत क्या है

- **उद्देश्य**: डाक सेवाओं से जुड़ी लंबित शिकायतों का शीघ्र, सीधे और प्रभावी निपटारा - प्रत्येक शिकायतकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई और मौके पर समाधान का मंच।
- **प्रकृति**: विभाग की शिकायत-निवारण प्रणाली का हिस्सा; परिपथ/मंडल स्तर पर नियमित आयोजन।
- **दायरा**: पार्सल, मनी ऑर्डर, बीमा, बचत-बैंक समेत विभिन्न डाक-सेवाओं की शिकायतें।

परीक्षा-दृष्टि से

- डाक विभाग (Department of Posts) संचार मंत्रालय के तहत; भारतीय डाक व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी डाक व्यवस्थाओं में शामिल।
- डाक अदालत जैसी पहलें सेवा-वितरण में नागरिक-केंद्रित शासन (citizen-centric governance) और शिकायत-निवारण तंत्र के उदाहरण हैं - GS-II के "गवर्नेंस" खंड से सीधे जुड़ीं। दिल्ली के इस आयोजन की पात्रता-शर्त शिकायत को आगे बढ़ाने की संरचित प्रक्रिया दर्शाती है।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: डाक अदालत डाक विभाग की शिकायत-निवारण प्रणाली का हिस्सा है
कथन 2: डाक विभाग वित्त मंत्रालय के तहत आता है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) डाक अदालत शिकायत-निवारण का मंच है; डाक विभाग संचार मंत्रालय के तहत आता है।

प्रश्न 2: दिल्ली परिपथ की परिपथ-स्तरीय डाक अदालत (26 नवंबर 2026) के संदर्भ में सही कथन चुनिए:

(a) इसमें केवल वे शिकायतें विचार्य होंगी जो संभागीय स्तर की डाक अदालतों में उठाई जा चुकी हैं और लंबित हैं

(b) इसमें कोई भी नई शिकायत सीधे रखी जा सकती है

(c) नीतिगत मामलों की शिकायतें भी स्वीकार होंगी

(d) शिकायतों के लिए कोई समय-सीमा नहीं है

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) परिपथ-स्तरीय अदालत केवल संभागीय स्तर पर उठाई गई लंबित शिकायतों के लिए है; शिकायतें 24 नवंबर 2026 तक सहायक निदेशक (सीएस) के पास पहुँचनी चाहिए; सामान्य/नीतिगत शिकायतें स्वीकार नहीं होंगी।

FAQ

संक्षिप्त उत्तर: दिल्ली डाक परिपथ 26 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे मेघदूत भवन में परिपथ-स्तरीय डाक अदालत में लंबित शिकायतों का निपटारा करेगा।

प्रश्न: इस डाक अदालत में कौन-सी शिकायतें लाई जा सकती हैं?

केवल वे शिकायतें जो संभागीय (डिवीज़नल) स्तर की डाक अदालतों में उठाई जा चुकी हैं और अब भी लंबित हैं; शिकायतें सहायक निदेशक (सीएस), दिल्ली परिपथ के पास 24 नवंबर 2026 तक पहुँचनी चाहिए; सामान्य प्रकृति या नीतिगत मामलों की शिकायतें स्वीकार नहीं होंगी।

प्रश्न: डाक विभाग किस मंत्रालय के तहत है?

संचार मंत्रालय (Ministry of Communications)।

प्रश्न: अदालत का स्थल और समय क्या है?

मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, तीसरी मंजिल, मेघदूत भवन, झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के निकट, नई दिल्ली - सुबह 11 बजे।

स्रोत

1. PIB/डाक विभाग, 26 नवंबर को सर्किल लेवल डाक अदालत (20 नवंबर 2026): https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2339102&lang=2&reg=48